न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर, जिला पाली (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री विनोदकुमार मल्होत्रा, आर.ए.एस.

म्युटेशन अपील सं. 04 / 2011
दायरा तिथि 29.04.2011
निर्णय तिथि 11.09.2017

अपीलांट–
श्रीमती लक्ष्मी उर्फ लसी पुत्री चेनाजी,
जाति कुम्हार निवासी फतापुरा
तहसील सुमेरपुर जिला पाली (राज.)

बनामः

रेस्पोडेन्ट्सः–
1–सरपच, ग्राम पंचायत सलोदरिया
2–वरदाराम पुत्र चेनाजी जाति कुम्हार
निवासी बामनेरा तहसील सुमेरपुर
3–जेठाराम पुत्र चेनाजी जाति कुम्हार
निवासी कोलीवाडा तहसील सुमेरपुर
4–कसनाराम पुत्र चेनाजी जाति कुम्हार
निवासी अरठवाडा तहसील शिवगंज
5–गेनाराम पुत्र चेनाजी जाति कुम्हार
निवासी जोयला तहसील शिवगंज
6–उमाराम पुत्र चेनाजी जाति कुम्हार
निवासी कोलीवाडा तहसील सुमेरपुर
7–स्व.गलबा पुत्र ओटाजी सुथार के का.मु.–
7/1–वेनाराम पुत्र गलबाजी
7/2–कुपाराम पुत्र गलबाजी
जातिगण सुथार निवासीगण
फतापुरा तहसील सुमेरपुर

म्युटेशन अपील अन्तर्गत धारा 75 RLRAct,1956

(विरूद्ध नामान्तरकरण सं. 7 व 9 दिनांक 30.06.1962 सरपच, ग्राम पंचायत सलोदरिया द्वारा स्वीकृत किया गया है, को निरस्त कराने बाबत्)

–: निर्णय :–

निर्णय तिथि 11.09.2017

उपरोक्त म्युटेशन अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है:–

(1) कि अपीलांट द्वारा विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स के यह म्युटेशन अपील कतिपय प्रावधान के तहत मय प्रश्नगत् अपील के डिले को कन्डोन करने हेतु प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अन्तर्गत धारा 5 मर्यादा अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर इस आशय का निवेदन किया है कि सरहद मौजा फतापुरा, तहसील सुमेरपुर में स्थित कृषि भूमि गत् खसरा नं. 14, 15, 16 कुल रकबा 45)16 बीघा एवं खसरा नं. 12, 12/1, 13 कुल रकबा 37)4 बीघा नवीया, धुला पि.चेना 1/2 हिस्सा एवं चेना वल्द मकना 1/2 हिस्सा कौम कुम्हार नि.फतापुरा के कब्जे काश्त की खातेदारी थी। अपीलांट के पिता चेना पुत्र मकनाजी का स्वर्गवास हो जाने से दिनांक 30.06.1962 को गलत रूप से नामान्तकरण सं.07 केवलमात्र अपीलांट के भाई वरदा, जेठा, कसना, गेना, उमा पि.चेनाजी के नाम से ही भरा गया, जबकि स्व. चेनाजी के अन्य कानूनी उत्तराधिकारी एवं वारिसान अपीलांट स्वय व हस्तु, नाजू पुत्रीया चेनाजी भी जीवित थी जिनका नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं किया गया जो गलत व गैर–कानूनी है। अपीलांट व स्व.चेनाजी के अन्य वारिसान द्वारा गलबा पुत्र ओटाजी को विवादग्रस्त कृषि भूमि कभी भी बैचान या हस्तान्तरण नहीं की है, फिर भी लिखत बैचान रूपये 50/– में गत् खसरा नं. 14, 15, 16 की भूमि गलबा पुत्र ओटाजी के नाम कूटरचित व फर्जी बैचान बताकर ग्राम पंचायत द्वारा बिना किसी कानूनन कोई प्रस्ताव लिए ही गलत रूप से नामान्तकरण सं.09 को स्वीकृत कर उक्त भूमि गलबा पुत्र ओटाजी के नाम खातेदारी में दर्ज कर दी गई, जो गलत व गैर–कानूनी है। इसके अलावा गत् खसरा नं. 12, 12/1, 13, 14, 15, 16 की भूमि में चेना पुत्र मकनाजी कुम्हार का 1/2

लगातार–2

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर (पाली)

Scanned by CamScanner

हिस्सा संयुक्त कब्जे काश्त की खातेदारी में था जो फौतेदगी नामान्तकरण के जरिए रेस्पोडेन्ट सं.02 लगाय 06 एवं अपीलांट व अपीलांट की बहनों के नाम से बहैसियत उत्तराधिकारी एवं वारिसान स्व.चेनाजी के खातेदारी दर्ज होनी चाहिए थी, परन्तु रेस्पोडेन्ट सं.01 व पटवारी एवं आर.आई. ने बाले–2 फौतेदगी नामान्तकरण सं.07 भरकर स्वीकृत कर दिया जो कि गलत व गैर–कानूनी है।

(2) कि कथित म्युटेशन अपील में अपीलांट ने यह भी अपने कथन अभिव्यक्त किए है कि अपीलाधीन नामान्तकरण सं.09 में उक्त कृषि भूमि को 50/– रूपये में बैचान करना बताया गया है जबकि ऐसा कोई बैचान इकरार न तो अपीलांट के भाईयों ने निष्पादित किया है और ना ही उक्त भूमि बैचान की है। उक्त लिखत बैचान कभी भी अस्तित्व में नही आया तथा ना ही बैचान हस्तान्तरण हुआ। उक्त नामान्तकरण के साथ बैचान लिखत लगा हुआ नहीं है, वर्ष 1962 के दौरान उक्त कृषि भूमि की कीमत 2000/– से भी अधिक थी जो रजिस्टर्ड दस्तावेज के अलावा हस्तान्तरित नही हो सकती थी, फिर भी रेस्पोडेन्ट सं.01 व पटवारी एवं आर.आई. ने बाले–2 गलत अपीलाधीन नामान्तकरण भरकर स्वीकृत कर दिये जबकि ग्राम पंचायत की बैठक में न तो उक्त म्युटेशन पेश हुआ, ना ही ग्राम पंचायत द्वारा कोई प्रस्ताव पारित किया गया। इस प्रकार दोनों अपीलाधीन नामान्तकरण सं.07 व 09 पूर्णतया विधि–विरूद्ध स्वीकृत होने से कानूनन शून्य व काबिल खारिज है। उक्त कृषि भूमि से संबंधित सहखातेदार गलबा पुत्र ओटाजी सुथार का स्वर्गवास हो जाने से उनके वारिसान रेस्पोडेन्ट सं. 7/1 व 7/2 पक्षकार बनाया गया है। साथ ही अपीलांट को उक्त कृषि भूमि से संबंधित नामान्तकरण सं.7 व 9 गलत व गैरकानूनी रूप से स्वीकृत होने तथा आगे से आगे हस्तान्तरण होने की जानकारी मिलने पर एवं दिनांक 31.03.2011 को उक्त नामान्तकरण की प्रमाणित प्रतिलिपिया प्राप्त होने पर उपरोक्त तथ्यो की पूर्ण जानकारी हुई है, चूंकि अपीलांट अशिक्षित व घरेलू महिला होने से कानूनी प्रक्रिया नही समझती है, इसलिए अपीलांट द्वारा यह अपीलाधीन नामान्तकरण अपील अन्दर मयाद पेश कर रही है जिसे अन्दर मयाद मानकर अपीलाधीन नामान्तकरण सं.07 व 09 दिनांक 30.06.1962 जो कि पूर्णतया गलत व गैरकानूनी होने से कानूनन शून्य है, को निरस्त फरमाकर उपरोक्त कृषि भूमि में स्व.चेना पुत्र मकनाजी के 1/2 हिस्से मे उनके उत्तराधिकारी एवं वारिसान अपीलांट व उनके अन्य भाई–बहनों का नाम खातेदारी में दर्ज किए जाने का आदेश प्रदान करावे। अपीलांट ने कथित म्युटेशन अपील के साथ साक्ष्य–दस्तावेज अपीलाधीन म्युटेशन सं.07 व 09 दिनांक 30.06.1962 की प्रमाणित छाया प्रति पेश की है।

(3) कि कथित प्रकरण में रेस्पोडेन्ट सं.7/1 व 7/2 बावजूद सम्मन सूचना के अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। इसी प्रकार रेस्पोडेन्ट सं. 01 लगाय 06 की ओर से पर्याप्त अवसर के बावजूद अपील–जवाब पेश नही करने पर उनके विरूद्ध यह अवसर समाप्त किया गया। कथित प्रकरण बहस हेतु विचारार्थ रहते उभयपक्षीय अधिवक्तागण ने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त म्युटेशन अपील अन्दर म्याद मैरिट पर स्वीकार करने पर रेस्पोडेन्ट सं.02 लगाय 06 की आपति नहीं है, रेस्पोडेन्ट सं.7/1 व 7/2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है, रेस्पोडेन्ट सं.01 फॉरमल पक्षकार है फिर भी ग्राम पंचायत ने अपीलाधीन नामान्तकरण सं.07 व 09 के बारे में कोई प्रस्ताव या प्रमाण पेश नही किया है। इसलिए उक्त म्युटेशन अपील को स्वीकार फरमावे।

हमने, कथित प्रार्थना पत्र व प्रकरण से संबंधित उभयपक्षीय अधिवक्तागण की बहस–दलील पर मनन व विचारण किया, साथ ही पत्रावली पर उपलब्ध तमाम रेकर्ड इत्यादि का अवलोकन व परीक्षण किया। फलस्वरूप प्रश्नगत म्युटेशन अपील में वर्णित अपीलाट द्वारा अभिव्यक्त किए गये कथनों व तथ्यों की बखुबी पुष्टि होती है तथा उभयपक्षीय अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत कथित प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों व दलील से

लगातार–3

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर (पाली)

Scanned by CamScanner

हम पूर्णतः सहमत है। अतः उल्लेखित तथ्यों व कथनों पर विचारण करने के पश्चात हमारी विधिक राय है कि प्रश्नगत् म्युटेशन अपील को स्वीकार किया जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण सं.07 व 09 दिनांक 30.06.1962 जो कि पूर्णतया गलत व गैरकानूनी होने से कानूनन शून्य है, को निरस्त करते हुए यह मामला तहसीलदार सुमेरपुर को इस दिशा–निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है कि उपरोक्त कृषि भूमि से संबंधित पूर्व खातेदार स्व.चेना पुत्र मकनाजी के 1/2 हिस्से में उनके उत्तराधिकारी एवं वारिसान अपीलांट व उनके अन्य भाई–बहनों का नाम राजस्व रेकर्ड में बतौर खातेदारी दर्ज किए जाने हेतु विधिवत् व नियमानुसार कार्यवाही यथासमय पर सुनिश्चित करे।

अतः उल्लेखित विश्लेषण एवं विवेचित तथ्यों के परिणामतः अपीलांट की यह म्युटेशन अपील विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स के कतिपय प्रावधान के तहत अपील डिले का कण्डोन करते हुए स्वीकार की जाकर सरहद सरहद मौजा फतापुरा, तहसील सुमेरपुर में स्थित कृषि भूमि गत् खसरा नं. 14, 15, 16 कुल रकबा 45)16 बीघा एवं खसरा नं. 12, 12/1, 13 कुल रकबा 37)4 बीघा से संबंधित अपीलाधीन नामान्तरकरण सं.07 व 09 दिनांक 30.06.1962 जो कि पूर्णतया गलत व गैरकानूनी होने से कानूनन शून्य है, को निरस्त किया जाकर यह मामला तहसीलदार सुमेरपुर को इस दिशा–निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उपरोक्त कृषि भूमि से संबंधित पूर्व खातेदार स्व.चेना पुत्र मकनाजी के 1/2 हिस्से में उनके उत्तराधिकारी/वारिसान अपीलांट के भाई क्रमशः वरदा, जेठा, कसना, गेना, उमा पि. स्व.चेनाजी व बहिने अपीलांट लक्ष्मी उर्फ लसी, स्व. स्व.हस्तु के वारिसान–भगाराम पुत्र हस्तु, हंजा पुत्री हस्तु, स्व.नाजु के वारिसान–मगनलाल, पुखराज, दुर्गाशंकर, मुरलीधर, मोहन पुत्रगण नाजु का नाम राजस्व रेकर्ड में बतौर खातेदारी दर्ज किए जाने हेतु विधिवत् व नियमानुसार कार्यवाही यथासमय पर सुनिश्चित करे।

यह निर्णय बरोज आज दिनांक 11.09.2017 को विवृत न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर(पाली)

Scanned by CamScanner